**न्यायालय** उपजिलाधिकारी, **राबर्टसगंज, सोनभद्र**

वाद संख्या–136 धारा–143 ज0वि0अधि0

मौजा–पड़री कलां, परगना–विजयगढ़

सर्वजन कल्याण समिति बनाम सरकार

**निर्णय**

प्रस्तुत कार्यवाही सर्वजन कल्याण समिति उरमौरा, रामगढ़, सोनभद्र अध्यक्ष राधिका यादव पत्नी रामकुंवर यादव निवासी ग्राम–उरमौरा, पो0– राबर्टसगंज, परगना–बड़हर, जनपद–सोनभद्र ने सरकार को बतौर विपक्षी बताते हुए मौजा–पडरी कलां , परगना–विजयगढ़ स्थित आराजी संख्या 37क, 37ग, 40क कुल रकबा 0.8220 हे0 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ आबादी घोषित करने हेतु धारा–143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रार्थना पत्र के जाच आख्या तहसीलदार दिनांक 05.06.2019 को मैने पत्रावली एवं जाँच आख्या तहसीलदार दिनांक 05.06.2019 को अच्छी प्रकार से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धरण खतौनी 1424 से 1429 फसली के खाता सं0 00205 के आराजी संख्या 37क, 37ग, 40क कु.. रकबा 0.8220 हे0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज हो।

तहसीलदार ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि आराजी का उपयोग कृषि कार्य में न होकर आबादी के रुप में हो रहा है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है।

**आदेश**

अतः आख्या तहसीलदार दिनांक 05.06.2019 की पुष्टि की जाती है, और मौजा–पड़री कलां , परगना–विजयगढ़ स्थित आराजी संख्या 37क, 37ग, 40क कुल रकबा 0.8220 हे0 को कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किया जाता है। बाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

उपजिलाधिकारी
राबर्टसगंज–सोनभद्र

दिनांक – 7/6/2019

छाया प्रति मिलान करें।

आज का निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित।

सत्य प्रतिलिपि

उपजिलाधिकारी
राबर्टसगंज–सोनभद्र